राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बोरवा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बोरवा

प्रकरण सं. – 88/2014 रे0वा0

निर्णय दिनांक – 06.07.2015

अनवान

1. श्री धन्ना पिता देवा मेरात निवासी बोरवा तहसील भीम जरिये पॉवर आफ अटोर्नी होल्डर भानुप्रताप सिंह निवासी बोरवा हाल नव दुर्गाकोलोनी चन्द्रवरदाई नगर टैम्पो स्टैण्ड के पीछे अजमेर।

वादी

बनाम

1. श्री अशोक पिता देवा जी जाति मेरात निवासी बोरवा तहसील भीम
2. श्री जलाल पिता देवा जी जाति मेरात निवासी बोरवा तहसील भीम
3. श्री मस्तान पिता देवा जी जाति मेरात निवासी बोरवा तहसील भीम
4. श्रीमति इन्द्रा पुत्री देवी व पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति मेरात निवासी चांग तहसील रायपुर जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा बोरवा पटवार क्षैत्र बोरवा तहसील भीम में स्थित कृषि भूमियां आई हुई है–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
82 नया	1785	00	02	10	बारानी 2
	1786	00	05	00	बारानी 2
	1787	00	04	10	बारानी 1
	1788	01	17	00	बंझड
	1799	00	12	00	बारानी 1
	1800	00	01	00	गैमु चाह
	1801	03	03	00	बारानी 2
	1802	01	16	00	बारानी 1
	1803	04	19	00	बंझड
	1843	00	12	00	बारानी 2
	1845	03	12	00	बारानी 2
	1861	00	03	00	बारानी 2
	1862	00	03	00	बारानी 2
	1863	00	03	00	बारानी 2
	1864	00	06	00	बारानी 2
	1865	20	15	00	बंझड
	1867	01	02	00	चाही1 जाव 1
	1871	00	07	00	चाही 2
	1875	00	19	00	बारानी 2
	1895	00	12	10	चाही 1जाव1
	1906	00	06	00	बारानी 2
	1907	00	10	00	बंझड
	1914	00	09	00	बारानी 2
	1915	00	19	00	चाही3 जाव3
	1916	00	14	10	बंझड
	1917	00	02	00	चा 1
	1918	00	09	00	जाव 2
	1919	00	05	15	गैमुचाह
	1920	00	04	00	बारानी 2
	1923	00	09	00	बंझड
	1924	00	13	00	जाव2 चाही2
	1925	00	10	00	चाही 2
	1926	00	11	00	बारानी 2
	कुल किता 33 रकबा 47 बीघा 16 विस्वा 15 विस्वांसी				

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

उक्त वर्णित आराजियात मे वादी का 1/5 हिस्सा है व शेष सभी प्रतिवादी सख्या 1 से 4 का क्रमशः 1/4–1/4 हिस्सा है व उसी अनुरूप सभी खातेदारान उपयोग उपभोग करते कराते चले आ रहे है व अपने हिस्से की भूमि की उपज वादी लेता चला आ रहा है।

वादी अपने आने वाले हिस्से का मौके पर बंटवारा करवाना चाहता है जिससे भविष्य में मैं अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर संकु व उपयोगी बना संकु जिस कारण मैनें अपने हिस्से को अलग करवाना चाहता हूँ । शामिल मे हिस्सा रहने के कारण से वादी उक्त भूमियो को उपजाउ नही बना पा रहा है व न ही उसमें किसी भी प्रकार से कुआं ही खुदवा पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में बंटवारा करवाया जाना आवश्यक है। वादी अधिकारी है कि वो वादपत्र पेश कर अपने आप आने वाली आराजियात का बंटवारा करवा लेवे व अपने हिस्से को अलग कर उसे उन्नत व विकसित बनाये।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बोरवा** मे पेश हुआ। वादी का वादपत्र एकतरफा कार्यवाही की जाकर डिगरी किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित व 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए मौजा बोरवा के खाता संख्या 82 के कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात पर तहसीलदार भीम वादी एवं प्रतिवादीगणो को मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner